संख्या- 32/2022/773जेएल/22-3-2022-200(2)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
नारी बंदी निकेतन लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2022

विषयः- नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध महिला सिद्धदोष बंदियों को 15 दिन का गृह अवकाश स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युकत विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18623/प्रो0अनु0(2)-233/2022/होमलीव, दिनांक 10-06-2022 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर नारी बंदी निकेतन लखनऊ मे निरूद्ध 05 सिद्धदोष महिला बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों मे संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय किः-

i. बंदी द्वारा नारी बंदी निकेतन लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।
ii. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
iii. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
iv. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।
v. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।
vi. बंदी के पास रहने के लिए घर हो उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।
vii. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जायेगा उसकी सूचना वरिष्ठ अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिये जायें।

....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या- 32(1)/2022/773जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18623/प्रो0अनु0(2)-233/2022/होमलीव, दिनांक 10-06-2022 के सन्दर्भ में।

3- गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-32/2022/773जेएल/22-3-2022-200(2)/2019, दिनांक 01 जुलाई, 2022 का संलग्नक।

क्र0	महिला बंदी/पति का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
2	श्रीमती अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1382
3	श्रीमती माया देवी पत्नी नारायण लाल	पीलीभीत	1387
4	श्रीमती हाजरा बेगम पत्नी श्री मो0 शफीक	फिरोजाबाद	2222
5	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री अजय प्रताप	हाथरस	2195

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।